सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-2024

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

विषय सामग्री	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण विकास	
पृष्ठभूमि	1
योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण	1
वर्ष 2023–24 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां	2
उपलब्धियां–एक नजर में	6
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	8
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	14
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	20
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	23
सांसद आदर्श ग्राम योजना	28
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	31
(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं	
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	34
महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना	47
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	50
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	53
मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	56
मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना	59
मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना	60
योजनाओं के अधिशेष कार्मिकों का कार्यकलाप संबंधी व्यय	64
(स) बायोफ्यूल प्राधिकरण	66
(द) निगरानी तंत्र	68
(य) अन्य	
बीपीएल सेंसस 2002	75
राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची	77
सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)	78
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी	82
अरावली	84
पंचायती राज	
पृष्ठभूमि	89
I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाऐं एक दृष्टि में	90
II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	90

III सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने में उपयोग	94
IV पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	95
V जनप्रतिनिधियों की जांच	97
VI प्रशासन गांवों के संग अभियान (MRC) 2023	97
VII हर घर तिरंगा कार्यक्रम	98
VIII आजादी का अमृत महोत्सव	98
IX इंदिरा रसोई योजना(ग्रामीण) वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना	99
X विकसित भारत संकल्प यात्रा	99
XI वित्तीय प्रबन्धन	100
1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच	102
2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	102
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	103
4. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	104
पंचायती राज की योजनाऐं	104
1. पन्द्रहवां वित्त आयोग	104
2. षष्टम राज्य वित्त आयोग	111
3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	117
4. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन	118
5. ग्राम पंचायत भवन निर्माण	119
6. पंचायत समिति भवन निर्माण	120
7. अम्बेडकर भवन निर्माण—2019	120
8. विलेज मास्टर प्लान	121
9.स्वामित्व योजना	121
10. पंचायत विकास योजना (PDP)	122
11. पंचायत पुरस्कार	123
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	126
जल ग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण विभाग	133
इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	146
परिशिष्ट	
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	
ग्रामीण विकास का राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट—1**	159
पंचायती राज का राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट—2**	160
राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाऐं **परिशिष्ट—3**	161
पंचायत समिति स्तरीय प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट—4**	162
ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट—5**	163
ग्रामीण विकास मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना **परिशिष्ट—6**	164
पंचायती राज मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना **परिशिष्ट—7**	166

अरावली

(एसोशियेशन फॉर रूरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलेन्टरी एक्शन एण्ड लोकल इन्वॉल्वमेंट)

स्थापना का उद्देश्य :– अरावली की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1994 में बजटीय घोषणा के तहत् सरकार और गैर सरकारी (स्वैच्छिक संगठनों) के बीच साझेदारी को सशक्त करने एवं राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु की गई।

कार्यव्यवस्था :– अरावली का पंजीकरण 23 जुलाई 1994 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अंतर्गत कियागया। वर्तमान में अरावली का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। **अरावली के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार हैं।संस्था की कार्यकारिणी समिति, शासकीय परिषद एवं साधारण सभा में राजस्थान सरकार के वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, आयोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, वन एवं पर्यावरण एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भी पदेन सदस्य हैं।** अरावली की साधारण सभा में राजस्थान सरकार के पदाधिकारियों के अतिरिक्त 36 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

राजस्थान राज्य के विकास में अरावली ने अपना वृहद योगदान दिया है, वह पिछले 25 वर्षों से ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा गरीब परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ाव आदि के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का सशक्तिकरण कर उपरोक्त क्षेत्रों में योगदान दिया है। इस कार्य में अरावली को विभिन्न दानदाता संगठनों ने अपना आर्थिक सहयोग दिया है जिनमें प्रमुख है : केन्द्र एवं राजस्थान सरकार, विश्व बैंक, आगा खॉ फाउण्डेशन, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., पॉल हेमलिन फाउण्डेशन, साईट सेवर इंटरनेशनल, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, दसरा, चोलामण्डलम CSR आदि।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 की सारणी के बिन्दु संख्या 38 के तहत् "अरावली" संस्था द्वारा प्रदत्त सेवा "विशिष्ट सेवा" की श्रेणी में आती है, अतः उपापम संस्था "अरावली" संस्था से उपापम कर सकती है। यह वित्त विभाग आई.डी. संख्या 102105112 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। विभिन्न विभागों/निगमों/संस्थाओं से अरावली को कंसलटेंसी, प्रशिक्षणों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अरावली संस्था से सेवाएं लिए जाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

अरावली के प्रमुख उद्देश्य हैं :–

1. सरकार व गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
2. राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी एवं विभागीय कार्मिकों का क्षमतावर्धन विभिन्न प्रशिक्षणों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से करना।

3. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, परियोजनाओं का मूल्यांकन व प्रबोधन कार्य करना।

4. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उचित प्रोद्योगिकी का अनुसंधान कर पहचान करना व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पायलट करना।

5. स्वैच्छिक प्रयासों और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु समग्र रणनीति व दृष्टिकोण को मजबूत करना।

6. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुई प्रभावी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना व राज्य के प्रमुख हितभागियों के समक्ष रखना।

7. सरकारी एजेंसियों और स्वंयसेवी संस्थाओं के मध्य साझेदारी व संवाद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं, बैठकों का संचालन व प्रयोजन करना।

अरावली के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

1. **प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम**– प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित करना। राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण कार्य। विभिन्न विषयों पर जैसे ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, गरीबी आंकलन, आजीविका संवर्धन, जल एवं स्वच्छता आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। पंचायतीराज संगठनों के सदस्यों की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में क्षमतावर्धन।

2. **मानवीय एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम** –
    - विभिन्न विषयों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
    - सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों में प्रबन्धन कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
    - प्रबन्धन, क्रियाकलापों व शोध के लिए दक्ष मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना।

3. **अनुसंधान एवं ज्ञान (नॉलेज बिल्डिंग)** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब समुदायों हेतु आजीविका संवर्धन करना व सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नवाचार प्रयासों को प्रोत्साहित कर दस्तावेजीकरण करना।
    - विभिन्न विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, प्रबोधन एवं योजनाओं के प्रभावी आंकलन कार्य करना। अरावली ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार व अन्य संगठनों हेतु आंकलन कार्य किए हैं।
    - अध्ययन, शोध एवं नवाचार कार्य एवं अच्छे अनुभवों व सीख का दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार।
    - अरावली ने ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर शोध एवं अध्ययन कार्य किए हैं विशेषकर वर्षा आधारित कृषि, जलग्रहण विकास कार्यक्रम, पशुपालन, वानिकी, समुदाय आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, तथा राज्य में आजीविका के क्षेत्र में शोध कार्य आदि।

4. **सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को सशक्त करना–**

- अरावली द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सहयोग से वर्ष 2009 से स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक (प्री–बजट संवाद बैठक) माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष आयोजित करना।

वर्तमान में अरावली निम्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है:–

1. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान**अंतर्गत जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच एवं वार्ड पंच स्तर के जनप्रतिनिधी एवं विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, मॉडयूल बनाना एवं संदर्भ सामग्री तैयार करना आदि का कार्य मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है :–

- पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन को लेकर एक पंचवर्षीय रणनीति एवं दृष्टि विकसित करना। इसके अंतर्गत वर्तमान में किये जा रहे पंचायम स्तरीय जनप्रतिनिधि क्षमतावर्धन प्रयासों के प्रभावों का आंकलन, संदर्भ व्यक्तियों की क्षमताओं का आंकलन एवं किए जा रहे प्रशिक्षणों के प्रभाव को समझा जा रहा है।
- इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के साथ मिलकर प्रशिक्षण विद्याओं को ठोस रूप में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने का कार्य जिससे प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षणों का समयपूर्वक आंकलन किया जा सके एवं सहभागियों की आवश्याकतानुरूप प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा सके।
- इस परियोजना के अंतर्गत महिलाएं एवं बच्चे एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु मार्गदर्शिका का भी निर्माण युनिसेफ के सहयोग से किया गया। इस दस्तावेज के माध्यम से ग्राम पंचायतों की बाल केन्द्रित जिम्मेदारियों को पुख्ता किया जा सकेगा एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही महिला सभा एवं बाल सभा के माध्यम से महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना में समुचित स्थान प्राप्त होगा जिससे राज्य में महिला हितेषी एवं बाल हितेषी ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा सके। बाल हितेषी ग्राम पंचायत की स्थापना हेतु अरावली द्वारा मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है।
- अरावली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत एसपीएमयू, एसपीआरसी, डीपीएमयू, बीपीएमयू, पेसा एवं बीपीआरसी यूनिट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम को राज्य में गति प्रदान हो एवं राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों को माननीय प्रधानमंत्री के संकल्पों के अनुरूप दिशा प्रदान की जा सके।

2. **राज्य के 5 आकांक्षी जिलों एवं 16 अन्य जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम को सशक्त करने हेतु विशेष अभियान–**

अरावली, अलाईन्स फार इम्युनाईजेशन व हेल्थ के तकनीकी सहयोग एवं यूनिसेफ, जयपुर के वित्तीय सहयोग से राज्य के पांच आकांक्षी जिलें (करौली, बारां, धौलपुर, सिरोही व जैसलमेर) एवं 16 अन्य जिलों में टीकाकरण का लाभ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं प्रक्रिया में छुटे परिवारों तक सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस वर्ग को चिन्हित कर संबंधित आंगनबाड़ी सेन्टर पर पंजीकृत करवाया जा रहा है। साथ ही परिवार को टीकाकरण के लाभ की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। साथ ही समुदाय में यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से 16 जिलों में एसबीसीसी समन्वयक प्रदान कर कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करना एवं क्षेत्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्ति एवं संस्थानों के माध्यम से टीकाकरण से छूटे हुए व्यक्तियों को टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल करना। अरावली द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत 16 जिलों में लगभग 3081 प्रभावशाली व्यक्तियों एवं संस्थानों को चिन्हित कर टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों हेतु टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर आमुखीकरण प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है।

3. **प्राकृतिक स्टोन क्षेत्र में मानव अधिकार संरक्षण को प्रोत्साहित करनाः–**

अरावली द्वारा व्यवसायिक स्वस्थ कार्यक्रम के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पत्थर खनिकों की आजीविका सशक्तिकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में अरावली द्वारा सस्टेनेबिलिटी फारम आफ नेचुरल स्टोन नामक मल्टी–स्टेकहोल्डर संगठन को तैयार किया गया है। फॉरम पत्थर उधोग में मानव अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है।

4. अरावली द्वारा चोलामण्डलम मुरूगुप्पा समुह के सहयोग से **"अरावली–चोलामण्डलम ट्रक चालक समुदाय (ड्राईवर व क्लीनर) आजीविका सशक्तिकरण परियोजना"**संचालित की जा रही है–

उक्त परियोजना अंतर्गत अरावली द्वारा राज्य में कुल 28673 ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों अंतर्गत स्वास्थ्य कैम्प आयोजित कर विशेषकर आंखों की जांच की गई। साथ ही परियोजना अंतर्गत 13145 ट्रक ड्राईवर व क्लीनरों को चश्मा भी वितरित किए गए। अरावली द्वारा भीलवाड़ा क्षेत्र में ट्रक ड्राईवरों हेतु जांच केन्द्र **"सक्षम"** की भी स्थापना की गई ताकि वंचित ट्रक ड्राईवरों द्वारा उक्त सेवाओं का लाभ लिया जा सके।

अभी तक स्वास्थ्य शिविर कैम्पों का आयोजन कोटा, पाली, अजमेर, अलवर एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आयोजित की गई है। आगामी वर्ष में चोलामण्डलम समुह के सहयोग से ट्रक ड्राईवरों के परिवारों की वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने हेतु आजीविका संवर्धन परियोजना, बच्चों हेतु छात्रवृत्ति एवं ट्रक ड्राईवरों की आंखों की जांच हेतु सक्षम विजन सेंटर की आऊटरीच बढ़ाई जावेगी ताकि ट्रक ड्राईवरों द्वारा सुरक्षित ड्राईविंग तकनीकी को अपनाया जा सके एवं राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।

5. **अरावली द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है,** जिसके तहत् राज्य में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आदि प्रमुख है। साथ ही अरावली द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से मुख्य

संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जा रहा है।अरावली द्वारा जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं का 5 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें राज्य के नवनियुक्त 152 कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

6. **राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम** के तहत् दृष्टि दोष व्यक्तियों की पहचान एवं उनका उपयुक्त उपचार सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से टोंक एवं सीकर जिले में साईटसेवर इंटरनेशनल यू. के. के सहयोग संचालित किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 300 आशा एवं 100 सीएचओ को प्रशिक्षित किया गया। अरावली द्वारा टोंक एवं सीकर जिलें में 10327 व्यक्तियों की आंखों की जांच की जाकर उसमें 540 व्यक्तियों की मोतियाबिंद की पहचान की गई एवं करीब 200 व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाकर लाभान्वित किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा
Mahatma Gandhi NREGA
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Rural Development, Govt. of India

जैव-ईंधन प्राधिकरण, राजस्थान
Bio-Fuel Authority, Rajasthan

Society for Social Audit
Accountability & Transperancy
(SSAAT), Rajasthan

राजीविका
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ARAVALI
Association for Rural Advancement
through Voluntary Action and Local Involvement